

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड II, में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना


नई दिल्ली, 08 फरवरी, 2017

का.आ. (अ) केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, 1956 (1956 के 1) की धारा 210क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 3 अक्टूबर, 2016 में अधिसूचना संख्या का.आ. 3118(अ) तारीख 3 अक्टूबर, 2016 प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में क्रम संख्या 6 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“6	श्री एस.एस. बरीक, भारसाधक मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नामित	सदस्य (उक्त अधिनियम की धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्देशित)”
----	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

फाइल संख्या 1/5/2001-सीएल V (भाग VI)


08/02/2017
अमरदीप सिंह भाटिया
संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. 3118(अ) तारीख 3 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART
II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]**

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification**

New Delhi, the 08th February, 2017

S.O..... (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956, (1 of 1956), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 3118 (E), dated the 3rd October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd October, 2016, namely:-

2. In the said notification, in paragraph 1, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:-

“(6)	Shri S.S. Barik, Chief General Manager-in-Charge, Nominee of the Reserve Bank of India	Member, [nominated under clause (d) of sub-section (2) of section 210A of the said Act].”
------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

[F.No. 1/5/2001-CL-V (Part VI)]


08/02/2017
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3118 (E), dated the 3rd October, 2016.